ISSN 2348-2796

सांस्कृतिक प्रवाह

(शोध पत्रिका)

SANSKRITIK PRAVAH

Research Journal

वर्ष 7 अंक 1 फरवरी, 2020

Bi- annual Bi-lingual

A Multi Disciplinary Refereed Research Journal
Dedicated to Socio-Cultural Harmony

www.sanskritikpravah.com

अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान, जयपुर (राज.)

Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur, Rajasthan

Subscription Rate

Institution & Library	-	Rs. 2200 (5 years)	Rs. 6000 (15 years)
Individuals (Rajasthan)	-	Rs. 950 (5 years)	Rs. 2600 (15 years)
(Out of Rajasthan)	-	Rs. 1000 (5 years)	Rs. 2800 (15 years)
Single Copy	-	Rs. 125/-	

Subscription may be sent by cheques/drafts drawn in favour of
Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan

The responsibility for the facts stated, opinions expressed or conclusions reached is entirely that of the authors / contributors and the **'Sanskritik Pravah' Research Journal** accepts no responsibility for them.

Correspondence and Contact

सांस्कृतिक प्रवाह

बी-19, मधुकर भवन, न्यू कॉलोनी, जयपुर-302001

E-mail : editor.sprj@gmail.com
: ramsjaipur@gmail.com
website : www.sanskritikpravah.com
Contact : 0141-4038590 (4 PM Onwards), 094143-12288 (Chief Editor)
094600-70031(Editor)

Published by : Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur, Rajasthan (India)
B-19, Madhukar Bhawan, New Colony, Jaipur-302001

Printed at : Kumar & Company, Jaipur

ISSN 2348-2796

सांस्कृतिक प्रवाह

(शोध पत्रिका)

वर्ष 7 अंक 1 फरवरी, 2020

अर्द्धवार्षिक द्वि-भाषी

सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वय के लिए
समर्पित एक बहु-विषयात्मक शोध पत्रिका

website : www.sanskritikpravah.com

अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान

बी-19, मधुकर भवन, न्यू कॉलोनी, जयपुर-302001

Sanskritik Pravah Research Journal

Patron

Sh. Ramprasad : Social Worker & Guardian, Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur (Raj.)

Editorial Advisory Board

Dr. Kuldeep Chand Agnihotri : Vice Chancellor
Central University of Himachal Pradesh,
Dharamshala (H.P.)

Dr. Bhagwati Prasad Sharma : Vice Chancellor
Gautam Budh University,
Greater Noida (U.P.)

Prof. J. P. Sharma : Ex Vice Chancellor
MLS University, Udaipur (Raj.)

Prof. Bhagirath Singh : Ex Vice Chancellor
Bikaner University, Bikaner (Raj.)

Prof. M. L. Chhipa : Ex Vice Chancellor
A.B. Vajpayee Hindi University, Bhopal (M.P.)

Dr. Alpana Kateja : Professor of Economics,
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Shreerang Godbole : Endocrinologist,
Social Worker & Writer, Pune (Maharastra)

Chief Editor

Sh. Ram Swaroop Agrawal :
Ex Principal, Govt. Law College,
Kota & Sriganganagar (Raj.)

72/25, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020
E-mail : ramsjaipur@gmail.com
Mobile : 09414312288

Editor

Dr. Gopal Sharan Gupta :
Centre for Rajasthan Studies,
University of Rajasthan, Jaipur

Plot No. 28, Gyanvihar Colony, Model Town
Jagatpura Road, Malviya Magar, Jaipur-302017
E-mail : gsgupta1960gmail.com
Mobile : 09460070031

Managing Editor

Dr. Jagdish Narayan Vijay : 99, Keteva Nagar, New Sanganer Road,
Assistant Registrar Jaipur - 302019
Jagadguru Ramanandacharya E-mail : jnvijay73@gmail.com
Rajasthan Sanskrit University Mobile : 09414348117
Jaipur (Rajasthan)

Editorial Board

Dr. Ashutosh Pant : 17, Nandpuri, Malviya Nagar, Jaipur-302017
Chairman, Fluorecent Group of E-mail : pant_ashutosh@rediffmail.com
Institutions, Sec -26, Near N.R.I Mobile : 09636770535
Circle, Pratap Nagar, Jaipur - 302033

Prof. Sunil Asopa : 61-B, Laxmi Nagar, Jodhpur-324006
Professor, E-mail : sunasopa@gmail.com
Deptt. of Law, Mobile : 09414294406
J.N.V. University, Jodhpur

Dr. Shivani Swarnkar : Qr. No. 1, Opp. Residency School Campus
Assistant Professor, Govt. M.G. College, Udaipur-313001
Deptt. of Geography E-mail : pswarn7@gmail.com
Govt. Meera Girls College Mobile : 09929096367
Udaipur-313001

Dr. Satish Chand Agrawal : Plot No. 9, Agrasen Nagar, Udaipole,
Assistant Professor, Udaipur-313001
Deptt. of Poltical Science E-mail : satish.political@gmail.com
M.L.S. University, Udaipur (Raj). Mobile : 09783055596

Assistance

Dr. Sardar Singh Gurjar : Village - Prempura, Post - Neemla
Assistant Professor (Hindi) Tehsil - Rajgarh, Distt. - Alwar (Raj.)-301415
B.S.N. College, Baxawala, E-mail : gurjarsardarsingh@gmail.com
Sanganer, Jaipur (Raj). Mobile : 09829702621

Dr. Ashok Kumar Gupta
Vice Principal
Ramkrishna T.T. College, Diggi Road,
Sanganer, Jaipur (Raj.)
E-mail : ashok.lecturer@gmail.com
Mobile : 07976108370

About Contributors

1. **प्रो. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री**
   कुलपति, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
   15 पुस्तकों सहित अनेक शोध पत्र एवं आलेख प्रकाशित, जम्मू-कश्मीर अध्ययन केन्द्र से संबद्ध

2. **प्रो. विभा उपाध्याय**
   पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान), 'राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा : समीक्षा' सहित तीन पुस्तकें तथा विभिन्न विषयों पर 36 शोध पत्र प्रकाशित; 10 पुस्तकों का संपादन, विभागीय शोध पत्रिका 'Jijnasa' की संपादक, 'इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च' (ICHR) सहित भारत सरकार के कई निकायों में सदस्य, इतिहास संकलन योजना से संबद्ध

3. **डॉ. धर्मचन्द चौबे**
   प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उच्चैन, भरतपुर (राजस्थान)
   इतिहास के सिद्धान्त एवं इतिहासकार, भारतीय संस्कृति की धाराएँ, भारतीय इतिहास दृष्टि सहित 5 पुस्तकें तथा भारतीय संस्कृति का विश्व संचार एवं भारत-चीन ऐतिहासिक संबंधों पर अनेक शोध पत्र प्रकाशित

4. **डॉ. दीपक कुमार शर्मा**
   एसोसिएट प्रोफेसर, प्राणीशास्त्र विभाग, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालोर (राजस्थान)
   अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 17 शोध पत्र प्रकाशित, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए चार पाठ्यपुस्तकों का लेखन, शैक्षिक पत्रिकाओं में अनेक आलेख प्रकाशित

5. **डॉ. सतीश चंद अग्रवाल**
   असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
   अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 7 शोध पत्र प्रकाशित, सम्पादित पुस्तकों में 4 अध्यायों का लेखन, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय सेमिनार में पत्र वाचन

6. **डॉ. विवेक भटनागर**
   वरिष्ठ पत्रकार, इतिहास अध्येता और लेखक, प्रकाशित पुस्तकें : पर्यटन के बिना भारतीय पुरातत्व तथा मानव की भौगोलिक पृष्ठभूमि; पुस्तक : सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड प्रकाशनाधीन, अनेक शोध पत्र प्रकाशित

7. **डॉ. राकेश धाबाई**
   असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, एस.एस. जैन सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर (राज.)

8. **डॉ. भलु शेख**
   शोध सहायक, जनजातीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)
   दो पुस्तकों का सम्पादन तथा कई शोध पत्र एवं आलेख प्रकाशित

9. **इन्द्रजीत भट्टाचार्य**
   शोधार्थी, म्यूजियॉलोजी (संग्रहालय विज्ञान) और संरक्षण केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान), दस शोध पत्र प्रकाशित, आई.टी. क्षेत्र में शिक्षण एवं सॉफ्टवेयर विकास का 23 वर्षों का अनुभव, Microsoft Certified Application Developer and Technology Specialist.

10. **रुचिका सैनी**
    शोधार्थी, इतिहास विभाग, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राज.)

अनुक्रमणिका / CONTENTS

		पृष्ठ संख्या
	संपादकीय ...	8
1.	**हिन्दुत्व और सेक्युलरिज़्म** – डॉ. दीपक कुमार शर्मा	11
2.	**अपराजित बप्पा रावल** – डॉ. विवेक भटनागर	17
3.	**सौराष्ट्र (गुजरात) की घुमन्तु जातियों के जीवन की परिस्थिति एवं समस्याएँ – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** – डॉ. भलु जे. शेख	24
4.	**भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम–2019** – डॉ. सतीश चंद अग्रवाल	41
5.	**राजपूताने की लोक विश्रुत गाथाओं एवं मुहावरों का ऐतिहासिक संदर्शन** – डॉ. धर्मचन्द चौबे	48
6.	**राजस्थानी लोकगीतों में वीरत्व एवं पारिवारिक संस्कृति का ऐतिहासिक अवलोकन** – डॉ. राकेश कुमार धाबाई	57
7.	**राजस्थान में लोक संस्कृति द्वारा जैव विविधता एवं प्रकृति संरक्षण – सवाईमाधोपुर प्राकृतिक संग्रहालय के विशेष संदर्भ में** – रुचिका सैनी	65
8.	**भारत में विलय से पूर्व जम्मू–कश्मीर का सामाजिक व प्रशासनिक परिदृश्य** – डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री	75
9.	**Restoring Indian Culture & Heritage through Museology and Conservation** - Indrajeet Bhattacharya	102
10.	**Theory of Asrama in Ancient India** - Prof. Vibha Upadhyaya	111
11.	**पुस्तक समीक्षा : आधुनिक विज्ञान और प्राचीन तत्वज्ञान (गौरी शंकर गुप्ता)** – रामस्वरूप अग्रवाल	121
12.	Guidelines for authors	123
	Review & Publication Policy, Ethics Policy	127
13.	शोध पत्र हेतु मुख्य विषय	128

संपादकीय

चिंता का विषय

सीएए और एनआरसी के संबंध में कैसा विचित्र वातावरण देश में बना हुआ है? देश का विभाजन हुआ क्योंकि मुसलमानों के लिए एक अलग देश की माँग की गयी थी। उस समय लाखों हिन्दू पाकिस्तान से भाग कर भारत आये। (1951 की जनगणना के अनुसार 72 लाख, 95 हजार, 870) परन्तु लाखों पाकिस्तान में ही रह गये। चाहते तो वे भी तब भारत आ सकते थे। उन्हें बिना किसी बाधा के भारत की नागरिकता मिलती। भारत के संविधान में भी ऐसा प्रावधान किया गया था (अनुच्छेद-6)। परन्तु, जिन्ना ने तो घोषणा की थी कि भले ही पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना हो, हिन्दुओं को भी पूरी धार्मिक आजादी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विभाजन के दौरान और बाद में वहाँ हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों की कहानी छुपी हुई नहीं है। पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार को भी पाकिस्तान में वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की चिंता थी। परिणामत: अप्रैल, 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। समझौते के अनुसार अल्पसंख्यकों को बराबरी के अधिकार देने के साथ ही अपहरण कर ली गई औरतों को वापिस उनके परिवारों में भेजना, अवैध कब्जाई सम्पत्ति लौटाना तथा जबरन धर्मांतरण रोकना आदि तय हुआ था। परन्तु पाकिस्तान में यह नहीं हो सका।

अगस्त, 1966 में जनसंघ के सांसद निरंजन वर्मा द्वारा संसद में नेहरू-लियाकत समझौते के क्रियान्वयन संबंधी पूछे गए प्रश्न पर तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान में उल्लंघन के उदाहरण समझौता होने के तुरंत बाद से ही सामने आने लगे थे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जबरन धर्मांतरण किया जाता रहा। उनकी जवान बहू-बेटियों को अगवा कर मुस्लिम युवकों के साथ जबरन विवाह होते रहे।

पाकिस्तान में रह गये हिन्दुओं को उनके पड़ौसियों ने सुरक्षा का विश्वास दिलाया था। अधिकांश उनमें दलित हैं- वहाँ सेवा कार्य करते हैं, परन्तु प्रताड़ित हो रहे हैं। वे कैसे भी भारत आना चाहते हैं। भारत के अलावा भी विश्व में क्या कोई देश है जहाँ हिन्दू शरण ले सकें? ऐसे हिन्दू शरणार्थी के रूप में जैसे-तैसे भारत आ गए। संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) तक आते तो स्वत: ही भारत के नागरिक बन जाते। परन्तु तब न सही, अब आ गए हैं। भयंकर प्रताड़ना सहकर आ गये हैं। क्या अब भारत उनको नागरिकता नहीं देगा? उनसे पूछकर तो विभाजन हुआ नहीं था। अत: उन अभागों का भारत में नागरिकता का अधिकार कैसे न हो? उनके हितों की रक्षा के लिए ही तो नेहरू जी ने लियाकत खाँ से समझौता किया था। गाँधी जी सहित भारत के सभी बड़े नेता किसी न किसी समय उनके पक्ष में कह चुके हैं। अब यदि सरकार उनकी नागरिकता के लिए कानून लाती है तो यह बहुत स्वाभाविक बात

है। तो फिर इस कानून का विरोध क्यों? यह कानून तो विभाजन का स्वाभाविक परिणाम है, पहले ही लाना था।

सीएए का विरोध करने वालों के मुँह से कभी कभार यह निकल ही जाता है कि उन्हें सीएए से कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें आपत्ति तो एनआरसी से है। एनआरसी यानि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। क्या भारत के नागरिकों का कोई वैध दस्तावेज नहीं होना चाहिए? सभी देशों में होता है ऐसा दस्तावेज। असम में तो इसके लिए लम्बा आंदोलन चला। अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने ऐसा रजिस्टर तैयार करने का वादा किया। बाद की सरकारों ने वह वादा पूरा नहीं किया तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को इसके लिए आदेश देना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालन ने आदेश ही नहीं दिया, बल्कि लगातार पीछे पड़कर, अपनी निगरानी में ऐसा नागरिकता रजिस्टर तैयार करवाया। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गलत किया? यदि नहीं,तो फिर वैसा ही रजिस्टर पूरे देश में बने तो ऐतराज क्यों? तब पता चल ही जायेगा कि इस देश में कौन-कौन घुसपैठिये हैं और कितने हैं। यह तो अच्छी बात होगी कि घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। फिर एनआरसी का विरोध क्यों?

क्यों एक वर्ग विशेष और कुछ राजनैतिक दल घुसपैठियों की पहचान उजागर होने देना नहीं चाहते? क्यों कतिपय मुस्लिम नेता यह नहीं चाहते कि देश में घुसपैठियों की पहचान हो? क्या केवल इसलिए कि अधिकांश घुसपैठिये मुसलमान हैं? यह तो राष्ट्र-हित के ऊपर मजहब-हित को रखना हुआ।

सरकार क्यों नहीं दृढ़तापूर्वक अपना पक्ष रखती? क्यों नहीं प्रश्न उठाती है कि घुसपैठियों के पक्ष में मुस्लिम संगठन और कुछ राजनैतिक दल क्यों खड़े हैं? क्या वे चाहते हैं कि इस देश में घुसपैठिये बने रहें? कम से कम उनकी पहचान तो हो। उनके नागरिक अधिकारों पर तो रोक लगे। उन्हें निष्कासित करना या न करना- यह मिल-बैठकर तय हो सकता है।

यह कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है लोगों के पास। क्या केवल यही एक दस्तावेज लिया जाना है? असम में 16 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज माँगा गया। इस सूची में संशोधन हो सकता है। फिर भी किसी नागरिक के पास कोई दस्तावेज नहीं हो तो उसका भी रास्ता ढूँढ़ा जा सकता है। लेकिन देश के नागरिकों का रजिस्टर तो होना ही चाहिए। कौन खड़े हैं घुसपैठियों के साथ यह उजागर होना ही चाहिए। विचित्र स्थिति है। जो घुसपैठियों के पक्ष में हैं, वे हावी हो रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। जो घुसपैठियों की पहचान करना चाहते हैं, उनकी आवाज दबी हुई है। वे 'बैक-फुट' पर हैं, चुप हैं। यह किसी भी स्वाभिमानी और सम्प्रभु राष्ट्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

प्रस्तुत अंक

19 वीं शताब्दी के अंत तक और कहीं-कहीं तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भी समाज जीवन में घुमन्तु (भ्रमणशील) जनजातियों का बहुत महत्त्व था। इनका एक वर्ग समाज का मनोरंजन अपने नृत्य, संगीत, भगवद्-आख्यान, वेशभूषा, पालतू जंगली जानवरों आदि से करता था, यथा कालबेलिये, सपेरे, मदारी, कलंदर, बाजीगर, जंगम, नट, भवैया, भांड आदि। इन जातियों का दूसरा वर्ग समाज को अनेक प्रकार की सेवाएँ देता था, जैसे कृषि-औजार बनाने वाले गाड़िया लुहार, हथियार व चाकू-छुरी पर धार लगाने वाले सिकलीगर, मिट्टी के खिलौने बनाने-बेचने वाले कुचबंदा, पक्षियों से जुड़े बहेलिये, बैल व नमक व्यापारी बणजारे, कंघी बनाने-बेचने वाले कांगसिया, मिट्टी समतल करने व नहर बनाने वाले ओढ़, पशुपालक रेबारी, नाव खेते केवट, निषाद, मृत जानवरों से जुड़े सांसी, कंजर आदि। प्रारम्भ में अंग्रेजों की कुटिलता के कारण तथा बाद में नयी तकनीकी और कई नये कानूनों के कारण भी सम्पन्न घुमन्तु वर्ग आज दीन-हीन होकर समाज के सबसे अधिक पिछड़े वर्ग में पहुँच गया है। घुमन्तु समाज की वर्तमान परिस्थिति और समस्याओं पर श्रमपूर्वक शोधपत्र लिखा है गुजरात के श्री भलु जे. शेख ने।

नीति और सिद्धान्त की बात पर अपने ईश्वर से भी असहमत हो जाने वाला हिन्दू समाज स्वभावत: ही सेक्यूलर कहा जा सकता है, परन्तु, पाश्चात्य विचारों को स्वीकारने की भी कसौटी है, ऐसा एक चिंतनशील आलेख इस अंक में है डॉ. दीपक शर्मा का।

देश पर अरबी आक्रमण की न केवल धार कुंद करने वाले वरन् मुस्लिम देशों पर विजय प्राप्त कर गजनी के शासक सलीम की पुत्री से विवाह करने वाले बप्पा रावल पर तथ्यात्मक लेख (डॉ. विवेक भटनागर), नागरिकता कानून का विश्लेषण (डॉ. सतीश अग्रवाल), इतिहास में वीर-वीरांगनाओं की लोक-गाथाएँ (डॉ. धर्मचन्द चौबे) तथा भारत में विलय से पूर्व जम्मू-कश्मीर के सामाजिक व प्रशासनिक परिदृश्य पर लिखे शोध-पत्र (डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री) सहित अन्य आलेख भी सुधी पाठक पसंद करेंगे, ऐसी आशा है।

– रामस्वरूप अग्रवाल